

प्रारूप-3

भाग-2

(संबंधित उप वन संचालक द्वारा भरा जाएगा)

16. परियोजना या स्कीम की अवस्थिति	-	प्रधामंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित धीपडियाल गांव से शौड मोटर मार्ग के किमी० 12.00 से खुरेत मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (लग 5.00 किमी०)
(i) राज्य/समस्तज्यक्षेत्र	-	उत्तराखण्ड राज्य
(ii) जिला	-	टिहरी गढ़वाल
(iii) जिला वन प्रभाग	-	सकलाना रेंज (नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती)।
(iv) पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र	-	2.565 हे०
17. पूर्वक्षण के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्रारिथति	-	अवरक्षित वन भूमि
18. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौरा	-	
(i) वन का प्रकार	-	
(ii) वनस्पति का आसैत पूर्ण धनत्व	-	0.30
(iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना	-	ब्यास डेलग्न हे०
(iv) पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा	-	डेलग्न हे०
19. भूक्षरण के लिए पूर्वक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पण	-	डेलग्न हे०
20. वन भूमि की सीमा से पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी :	-	0.50 किमी०
21. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता :	-	
(i) पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा :	-	
(ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र औरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अल्पप्रास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वाहन की और टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)	-	नही हे०
(iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र औरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वाहन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)	-	नही हे०
(iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र औरक्षण व्याघ्ररिजर्व हाथी गलियारे वन्य जीव उल्पास आदि पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वाहन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)	-	नही हे०

- (अ) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किन्म के खतरे की प्रजातियाँ हैं यदि है तो उसके ब्यौरे
22. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिस्थापक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्यौरा दें)
23. पूर्णक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियाँ दें :
- (i) क्या भाग- 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है।
- (ii) यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्णक्षेत्र के लिए उपयोग किया जा सकता है।
24. किए गए अतिक्रमण के ब्यौरे :
- (i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है (हां/नहीं)
- (ii) यदि हां की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्वर्तित वन भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, पते और पदनाम सहित अतिक्रमण के ब्यौरे और अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के विरुद्ध की गई कार्यवाही
- (iii) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हां/नहीं)
25. क्षतिपूर्क वनरोपण स्कीम के ब्यौरे
- (i) क्षतिपूर्क वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्रस्थिति।
- (ii) अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खतरा संख्या क्षेत्र और क्षतिपूर्क वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे ब्यौरे दें।
- (iii) क्षतिपूर्क वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनोत्पन्न या अवनत वन दर्शित करने वाले 150,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमाएं संलग्न हैं।
- (iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कागजवन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूर्क वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न हैं (हां/नहीं)।
- (अ) क्षतिपूर्क वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिब्यय :
- (vi) क्या क्षतिपूर्क वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचान किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबंधित उपरोक्त संरक्षक से प्रमाण-पत्र संलग्न है (हां/नहीं)।
26. वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित किष्काकलाओं के समाधान से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकार में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां/नहीं)।
27. स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशें

नहीं है,

नहीं है,

अपरिहार्य

नहीं

नहीं

नहीं

निविल लोयन श्रुति

संलग्न है

संलग्न है

ज्योरा संलग्न है

₹ 7.61 लाख

संलग्न है

हाँ

वन श्रुति स्वीकृति की संकेत की जाती है